



जागृति

वर्ष.65

अंक-07

मुंबई

जून, 2021

विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई



मधुमक्खी बचाओ
पृथ्वी बचाओ



खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति



कामधे पुस्तकमगमम् ।
प्राणिनाम् आतिनाशनम् ।

वर्ष.65 अंक-07 मुंबई जून, 2021

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

सह संपादक
स्मिता जी. नायर

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

डिजाइन व पृष्ठसज्जा
सुबोध कुमार
दिलीप पालकर
शेखर पुनवटकर

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056
के लिए ई-प्रकाशित

ईमेल: editorialpublicitykvic@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों
तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग
अथवा संपादक सहमत हों

आवरण चित्र: नेचर फ्रेश हनी

इस अंक में.....

समाचार सार.....3 से 10

केवीआईसी की परियोजना RE-HAB: हाथियों के हमलों को रोकने में घातक खाइयों और बिजली की बाड़ की अपेक्षा बेहतर परिणाम दे रही है

कोविड-19 के चलते दूसरे लॉकडाउन के दौरान केवीआईसी को मिले 45 करोड़ रुपए के सरकारी खरीद ऑर्डर से खादी कारीगरों को बड़ी मदद

केवीआईसी ने मनाया : विश्व मधुमक्खी दिवस.....

केवीआईसी की बड़ी जीत;कोर्ट द्वारा व्यक्तियों/फर्मों को अनधिकृत रूप से ब्रांड नाम का उपयोग करने पर रोक

लेख.....11 से 13

प्रकृति को आर्थिक विकास में भागीदार बनाने का समय है.....
- विनय कुमार सक्सेना
अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

प्रेस कवरेज व सोशल मीडिया14 से 15

केवीआईसी की परियोजना RE-HAB

हाथियों के हमलों को रोकने में घातक खाइयों और बिजली की बाड़ की अपेक्षा बेहतर परिणाम दे रही है



21 मई, 2021: ऐसे समय में जब राज्य सरकारें हाथियों के हमलों को रोकने के लिए खाइयों को खोदने और अन्य भौतिक अवरोधों को बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अभिनव परियोजना RE-HAB (मधुमक्खियों के प्रयोग से मनुष्यों पर हाथी के हमलों को कम करना) मानव-हाथी संघर्षों को कम करने का एक अत्यंत किफ़ायती और हानिरहित तरीका साबित हुआ है।

कर्नाटक के कोडगु जिले (कूर्ग) के सिद्धापुरा गांव में कुछ दिनों पहले एक हाथी के चमत्कारी रूप से एक दलदली खाई में गिर जाने पर यह मामला प्रकाश में आया। जंगलों में हाथियों की आबादी वाले क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा खोदी गई खाइयों से हाथियों की सबसे ज्यादा मौत हुई है।

हालांकि, इस विशेष घटना में, हाथी भाग्यशाली था कि वह बिना किसी गंभीर चोट के बच गया। हालांकि, बचाव अभियान का वायरल वीडियो यह दिखाता है कि पटाखा फोड़कर भगाए जाने से पहले तक हाथी खाई से बाहर आने पर जेसीबी उत्खनन मशीन से अपने सिर को टकराकर वह अपनी

नाराजगी जाहिर कर रहा था।

दूसरी ओर, कर्नाटक के कोडगु जिले में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र में चार स्थानों पर लागू RE-HAB परियोजना ने जंगली हाथियों के हमलों को काफी कम कर दिया है। इन स्थानों पर लगाए गए नाइट विजन कैमरों ने मानव क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही में तेज गिरावट दिखाई है जो स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। इसमें कई हाथी मधुमक्खियों के डर से जंगलों की ओर लौटते देखे जाते हैं। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में हाथियों द्वारा किसी फसल या संपत्ति के नष्ट होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

क्योंकि वहां मधुमक्खी के बक्से रखे गए हैं। हाल ही में, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने झारखंड के मुख्यमंत्री से राज्य में प्रोजेक्ट RE-HAB को अपनाने के लिए कहा था। उन्होंने देश भर में परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कृषि और पर्यावरण और वन मंत्रालयों की भागीदारी पर भी जोर दिया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा

कि केवीआईसी ने अन्य हाथी प्रभावित राज्यों में परियोजना RE-HAB के संचालन का फैसला किया है और राज्य सरकारों से हाथी तथा मानवों के बीच होने वाले संघर्षों को कम करने के लिए परियोजना RE-HAB को लागू करने का भी आग्रह किया है। कर्नाटक के अलावा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य जंगली हाथियों के हमलों से बुरी तरह प्रभावित हैं।


“हर साल करोड़ों रुपये खाइयाँ खोदने, रेल की बाड़ और नुकिले खंभे लगाने और हाथियों को मानव क्षेत्रों से दूर रखने के लिए बिजली की बाड़ और बिजली के तार की दीवार बनाने पर खर्च किए जाते हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि, न केवल ये सभी प्रयास विफल रहे, बल्कि दुखद बात यह है कि इन तरीकों ने सबसे अधिक हाथियों को भी मार डाला। इन खाइयों में गिरने से बड़ी संख्या में हाथियों, विशेषकर हाथियों के बच्चों की मौत हो गई है।

“दूसरी ओर, प्रोजेक्ट RE-HAB किफायती है और

हाथियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बहुआयामी लाभ भी होंगे, उन्होंने कहा कि यह मानव-हाथी संघर्ष को कम करेगा, मधुमक्खी पालन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करेगा, जलवायु परिवर्तन को कारकों को संतुलित करेगा, फॉरेस्ट कवर को पुनर्जीवित करेगा और जंगली जानवरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

उल्लेखनीय है कि, प्रोजेक्ट RE-HAB इस साल 15 मार्च को लॉन्च किया गया था। इस परियोजना के तहत हाथियों को मानव आवास में प्रवेश करने से रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्सों का उपयोग बाड़ के रूप में किया जाता है और इस प्रकार जान-माल की हानि को कम करता है।

हाथियों को डर है कि मधुमक्खियां उनकी आंखों और सूंड के अंदरूनी हिस्से में उन्हें डंक मार सकती हैं। साथ ही मधुमक्खियों की भिनभिनाहट हाथियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है।



कोविड-19 के चलते दूसरे लॉकडाउन के दौरान केवीआईसी को मिले 45 करोड़ रुपए के सरकारी खरीद ऑर्डर से खादी कारीगरों को बड़ी मदद

29 मई, 2021, दिल्ली: खादी कारीगरों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों ने उन्हें एक बार फिर वित्तीय संकट से लड़ने में मदद की है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन में हैं। इस साल मार्च से मई के बीच मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भारी झटका लगने के बावजूद खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को 45 करोड़ रुपये से ज्यादा के खरीद ऑर्डर मिले हैं जो लाखों खादी कारीगरों को आजीविका प्रदान करने में मददगार साबित होंगे।

यह खरीद ऑर्डर जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारतीय रेल और एयर इंडिया से आए हैं। जनजातीय छात्रों के लिए 6.38 लाख मीटर पॉली खादी कपड़े की खरीद के लिए केवीआईसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अप्रैल 2021 में बढ़ा दिया गया है। कपड़े के ऑर्डर को बढ़ाकर 8.46 लाख मीटर कर दिया गया है जिसकी कीमत 20.60 करोड़ रुपये है। यह ऑर्डर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कई खादी संस्थानों में वितरित किया गया है। इस साल जून तक सामग्री की आपूर्ति कर दी जाएगी।

इसी तरह, रेल मंत्रालय ने अप्रैल से मई के बीच केवीआईसी को 19.50 करोड़ रुपये के खरीद ऑर्डर दिए हैं। इससे देश भर में 100 से अधिक खादी संस्थानों के साथ पंजीकृत कारीगरों को सीधे लाभ होगा जो विशेष सामग्री जैसे बिछाने के कपड़े, तौलिए, चादरें, फ्लैग बैनर, स्पंज कपड़े, दोसूती कॉटन खादी और बंटिंग कपड़े आदि के उत्पादन में लगे हुए हैं। इस सामग्री की सप्लाई जून और जुलाई 2021 के बीच की जाएगी।

भारत का राष्ट्रीय विमान वाहक एयर इंडिया भी अपने एग्जिक्यूटिव और बिजनेस क्लास के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 4.19 करोड़ रुपये की लागत वाली 1.10 लाख सुविधा किट खरीदेगा। अप्रैल के महीने में जारी ताजा सप्लाई ऑर्डर एविएशन क्षेत्र, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से आया है।

कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान के बावजूद यह ऑर्डर केवीआईसी को मिले हैं। खादी सुविधा किट में प्रीमियम हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद शामिल हैं जैसे खादी हैंड सैनिटाइज़र, खादी मॉइस्चराइज़िंग लोशन, खादी लेमनग्रास ऑयल, खादी हैंडमेड साबुन, खादी लिप बाम, खादी गुलाब फेस वॉश, एसेंशियल ऑयल आदि। ये उत्पाद छोटे ग्राम उद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में इतने बड़े ऑर्डर केवीआईसी के कारीगरों के लिए अधिकतम रोजगार पैदा करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को पूरा करने के प्रयासों को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केवीआईसी के सामने कारीगरों के रोजगार और आजीविका को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारतीय रेल और एयर इंडिया की तरफ से बड़ी संख्या में मिले इन आर्डरों से खादी के चरखे की कताई जारी रहेगी और इसका अर्थ यह कि यहां कताई करने वालों, बुनकरों, संबंधित कारीगरों और श्रमिकों के साथ-साथ ग्रामीण उद्योगों में लगे एक विशाल कार्यबल के लिए रोजगार और आय सुनिश्चित होगी।

केवीआईसी ने मनाया विश्व मधुमक्खी दिवस

मधुमक्खियां हमारे और पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।



20 मई, 2021: केवीआईसी ने इस वर्ष की थीम “बी एंगेज्ड: बिल्ड बैक, बेटर फॉर बीज़” पर एक वेबिनार का आयोजन कर विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया, जिसमें पर्यावरण के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

केवीआईसी अध्यक्ष ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक मधुमक्खी पालकों को क्रमशः 10.00 लाख रुपये और 5.00 लाख रुपये के पुरस्कार के साथ 2.00 लाख रु. रुपये के पांच पुरस्कारों की घोषणा की।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वेबिनार को संबोधित करते हुए केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक मधुमक्खी पालकों को 2.00 लाख रु. के पांच पुरस्कारों के साथ क्रमशः 10.00 लाख रुपये और 5.00 लाख रुपये के पहले और दूसरे पुरस्कार की घोषणा की। इस अवसर पर

बोलते हुए केवीआईसी के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में केवीआईसी के राष्ट्रीय शहद मिशन ने देश भर में जीवित मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ लगभग 150,000 मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। जहां प्रत्येक प्रशिक्षित व्यक्ति को मधुमक्खी के 10 बक्सों का एक हैम्पर प्रदान किया गया जो स्थापित किए गए मधुवाटिका का दसवां हिस्सा है।



यदि इन 15,000 मधुमक्खी पालनघरों में प्रत्येक से शहद की बिक्री के लिए तीन या चार स्थानीय लोगों और वितरण के लिए दो या तीन लोगों को रोजगार देता है, जिससे रोजगार के व्यापक अवसर बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा, क्लस्टर विकास और सहायता के संबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से, केवीआईसी ने दर्जनों बुनियादी ढांचा पूल स्थापित किए हैं, जहां उद्यमी शहद निकालने, प्रसंस्करण, बॉटलिंग, सहायक उत्पाद विकास और ज्ञान विनिमय के लिए सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे इस कार्यक्रम को केवीआईसी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ लिया। प्रधान मंत्री ने इसे सदी की "मीठी क्रांति" कहा है और इसे एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में माना है, जो धीरे-धीरे भारत की मुख्य क्षमता को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि कई अन्य प्राथमिकताओं के साथ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने हनी मिशन को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। केवीआईसी के लिए यह राष्ट्रीय हनी मिशन जनादेश के संदर्भ में राष्ट्र के समक्ष तात्कालिकता शहद उत्पादन बढ़ाने, प्रबल मधुमक्खी आबादी, मधुमक्खी जैव विविधता के संरक्षण और कृषि उत्पादकता के लिए संबंधित लाभों एवं उपायों के बारे में थी।

नीति क्षितिज के राष्ट्रीय मुख्यधारा प्रवाह में एक चौतरफा समर्थन प्रणाली विकसित होने के साथ, केवीआईसी ने 2017-18 के दौरान मधुमक्खी पालन में लोगों को प्रशिक्षित करने, छत्तों के साथ मधुमक्खी बक्से प्रदान करने, पूर्ण स्थापना तक तकनीकी सहायता देने के सरल लक्ष्य के साथ हनी मिशन शुरू किया। शहद निष्कर्षण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की




क्लस्टर सुविधाओं का विकास करना और शहद उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन सुविधाएं बनाना है।

इस प्रकार केवीआईसी का राष्ट्रीय हनी मिशन महत्वपूर्ण उम्मीदों जैसे शहद का उत्पादन बढ़ाना, मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और कृषि विकास में सहायता के साथ आगे आया।

आयोग के अध्यक्ष ने शहद को दूषित होने से बचने और शहद की गुणवत्ता बनाए रखने की चुनौती लेने के लिए स्वच्छ निष्कर्षण प्रक्रिया के बारे में भी आगाह किया।

उन्होंने केवीआईसी की अभिनव परियोजना "रि-हब" (मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव-हाथी हमलों को कम करना) पर भी प्रकाश डाला, जो मानव-हाथी संघर्षों को कम करने का एक अत्यंत लागत प्रभावी और हानिरहित तरीका साबित हुआ है। कर्नाटक के कोडागु जिले (कूर्ग) के सिदापुरा गांव में कुछ दिनों पहले एक हाथी के चमत्कारी रूप से बच निकलने के कारण यह एक गंदी खाई में गिर गया था।

केवीआईसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रीता वर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य शिक्षा और प्रचार के माध्यम से मधुमक्खी उद्योग के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना है। "शहद का उत्पादन



विश्व मधुमक्खी दिवस



महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस अवसर पर वित्तीय सलाहकार सुश्री आशिमा गुप्ता, मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. संघमित्रा के साथ क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और सफल मधुमक्खी पालकों ने भी अपनी सफलता की यात्रा साझा की।

इससे पहले आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाई.के.

हमेशा केवीआईसी की मुख्य गतिविधियों में से एक रहा है। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान में यह विश्व स्तर पर शहद का सातवां उत्पादक है और हमारा लक्ष्य इसे नंबर एक स्थान पर लाना है।"

केवीआईसी के अथक प्रयासों ने शहद के उत्पादन को देश के अन्य स्थानों के अलावा जम्मू-कश्मीर, कांजीरंगा जैसे कई दूरदराज के कोनों तक पहुँचाया। इसने निश्चित रूप से ब्रांड वैल्यू में वृद्धि की है, इसके अलावा इसे सर्वोत्तम गुणवत्ता स्थापित शहद बनाया है। केवीआईसी ने हनी मिशन के तहत देश भर में 15,325 लाभार्थियों को 1,52,059 मधुमक्खी कॉलोनियां वितरित की हैं और सफल लाभार्थियों से आगामी लाभार्थियों को तैयार करने के लिए संरक्षक की भूमिका निभाने का भी आग्रह किया गया है।

आजकल, हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि मधुमक्खी फसलों और फूलों के परागण के लिए महत्वपूर्ण हैं और हाल के वर्षों में मधुमक्खियां एक संकट का सामना कर रही हैं जो उनके भविष्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि वे पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण और रखरखाव में भी

बारामतीकर ने केवीआईसी के हनी मिशन की उत्पत्ति और उत्थान के बारे में बताया। उन्होंने कार्यक्रम को लागू करने में आने वाली वास्तविक कठिनाइयों पर भी विचार-विमर्श किया।

वेबिनार में वन आधारित उद्योग की ओर से, उप. निदेशक एफबीआई ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और हनी मिशन के महत्व को साझा किया।

कार्यक्रम का संचालन केवीआईसी के सहायक निदेशक श्री विजेन्द्र सिंह ने किया।



केवीआईसी की बड़ी जीत;

कोर्ट द्वारा व्यक्तियों/फर्मों को अनधिकृत रूप से "खादी" ब्रांड नाम का उपयोग करने पर रोक

19 मई, 2021, नई दिल्ली: "अनधिकृत" और "धोखाधड़ी" से ब्रांड नाम "खादी" के उपयोग को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के आक्रामक रुख को अब अदालतों से कानूनी समर्थन मिला है। यह देखते हुए कि "खादी" निजी व्यक्तियों या फर्मों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य नाम नहीं रहा, दिल्ली में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया डोमेन विवाद नीति (INDRP) मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने किसी व्यक्ति को ब्रांड नाम खादी का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया है। यह आदेश खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है जिसमें दिल्ली के एक व्यक्ति जितेंद्र जैन द्वारा चलाए जा रहे डोमेन नाम www.khadi.in को चुनौती दी गई है।

"यह एक निर्विवाद तथ्य है कि केवीआईसी जो कि शिकायतकर्ता है, ट्रेडमार्क "खादी" / "खादी इंडिया" का वैध मालिक है और उसने ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार स्वामित्व प्राप्त किया है। ट्रिब्यूनल प्रतिवादी के इस निवेदन से भी सहमत नहीं हैं कि "खादी" एक सामान्य शब्द है और वह प्रतिवादी इसका उपयोग करने का हकदार है। ट्रिब्यूनल द्वारा कहा गया है कि उसकी राय में, विवादित डोमेन नाम (www.khadi.in) एक ट्रेडमार्क समर्थित डोमेन नाम है और यह न केवल व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है बल्कि NIXI द्वारा जारी INDRP नीति के खंड 4 का भी उल्लंघन करता है। ट्रिब्यूनल द्वारा अपने आदेश में कहा कि, "यह निर्देश दिया जाता है कि डोमेन नाम www.khadi.in को शिकायतकर्ता (केवीआईसी) के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाए... प्रतिवादी और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को डोमेन नाम या किसी अन्य भ्रामक समान ट्रेडमार्क का उपयोग करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया

जाता है, जो शिकायतकर्ता के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन हो सकता है तथा कोई अन्य कार्य करने से भी, जिससे शिकायतकर्ता, केवीआईसी के उत्पादों / सेवाओं के साथ भ्रम और धोखा पैदा होने की संभावना है, "एकल आर्बिट्रेटर श्री पंकज गर्ग द्वारा 3 मई 2021 को पारित अपने आदेश को पढ़ा। ट्रिब्यूनल ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) को डोमेन नाम के हस्तांतरण में शामिल आकस्मिक या सहायक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अदालत का आदेश खादी के ब्रांड नाम के उल्लंघन के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेगा तथा खादी कारीगरों के वैध अधिकारों की रक्षा करने में केवीआईसी को मदद करेगा। "केवीआईसी अपने ब्रांड नाम "खादी" के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसका सीधा असर हमारे कारीगरों की

(शेष पृष्ठ 13 पर)

विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर शहद वितरण कार्यक्रम की झलकियां

चेन्नई में 20 मई, 2021 को सर्वोदय संघ द्वारा शहद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया



20 मई, 2021 को मद्रुरै में पुलिस विभाग को 100, 200, 500, 1000 मिलीग्राम की शहद की बोतल वितरित की गई।



प्रकृति को आर्थिक विकास में भागीदार बनाने का समय है

- विनय कुमार सक्सेना
अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग



जैसाकि लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला कि शहद के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई है इससे यह सन्देश मिलता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बनाये रखने के अतिरिक्त बेहतर अन्य कोई आर्थिक मॉडल नहीं है।

रविवार की सुबह आराम से इंटरनेट पर सर्फिंग करते हुए अल्बानिया के एक समाचार लेख ने अचानक मेरी आंखें खोल दी। नियमित रूप से हो रही मृत्यु और कोविड -19 महामारी के कारण काफी बवाल उठा है, इस लेख में बताया गया है कि बाल्कन राज्य पूर्ण रूप से बंद होने पर भी "प्रकृति और मधुमक्खियों का पुनर्जन्म" कैसे हुआ, जबकि हाल के वर्षों में मधुमक्खियों की आबादी में और शहद उत्पादन में भारी कमी देखी गई है।

लेख में कहा गया है कि देश में औद्योगिक लॉकडाउन के परिणामस्वरूप भी विगत 50 वर्षों में सबसे अधिक शहद का उत्पादन हुआ है। कुछ ही समय में, मैं इसे अपने हाल ही के

ट्वीट (20 मई) से जोड़ सकता था, जिसमें यह भविष्यवाणी की गई थी कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही वायु और ध्वनि प्रदूषण में तेजी से गिरावट आने के कारण भारत में शहद का बंपर उत्पादन होगा। जैसे-जैसे लोग घर के अंदर रहे, इसने मधुमक्खियों को पर्याप्त समय दिया और ओवरटाइम काम करने और अधिक शहद का उत्पादन करने के लिए एक आदर्श वातावरण दिया।

लॉकडाउन के दौरान कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं था, कोई अन्य प्रदूषण भी नहीं था, कोई कीटनाशक दवा नहीं छिड़का गया था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें परेशान कर सके। मुझे परिणाम देखने के लिए दूर की यात्रा नहीं करनी पड़ी।

राजघाट स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कार्यालय में मधुमक्खी के बक्सों की भरमार ने मनभावन तस्वीर पेश की। प्रत्येक मधुमक्खी बॉक्स में हर वर्ष एकत्र किए जाने वाले सामान्य 15-20 किलोग्राम शहद की तुलना में, लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान इसकी मात्रा लगभग 40 किलोग्राम प्रति बॉक्स हो गई।

लेकिन जैसाकि मैंने हमेशा बनाए रखा है, मधुमक्खी पालन के बड़े लाभ के पश्चात् शहद का उत्पादन का समय आता है, यानी एक स्थायी पर्यावरण व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों की रक्षा करना। शहरों के सन्दर्भ में, लॉकडाउन अवधि के दौरान, स्वच्छ हवा और कम ध्वनि प्रदूषण के कारण मधुमक्खी कॉलोनियों की संख्या में वृद्धि हुई, साथ ही साथ मधुमक्खियों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के लिए दो कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। मधुमक्खियों की आबादी में वृद्धि का अर्थ है पर-परागण में वृद्धि और अधिकतम पैदावार।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालकों ने दावा किया है कि इस वर्ष शहद उत्पादन 30-40% तक बढ़ सकता है। वहीं दो महीने के लॉकडाउन की बात करें तो आम दिनों की तुलना में शहद की मात्रा में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गुणवत्ता में सुधार के परिणामस्वरूप आसपास के इलाकों में पराग और अमृत की प्रचुरता हो गई है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित कई जगहों पर शहद निकालने की प्रक्रिया भी सामान्य से पूर्व शुरू हो गई है क्योंकि मधुमक्खी के बक्से में शहद जल्दी भर गए थे।

भारत के अन्य हिस्सों से भी इसी तरह की उत्साहजनक खबरें आई हैं। जाँच करने पर मधुमक्खीपालन करने वाले देवव्रत शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन का दिल्ली में शहद उत्पादन पर काफी असर पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान उत्पादित शहद की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। जैसा कि लगभग शून्य प्रदूषण था, उत्पादित शहद बहुत स्वच्छ और पारदर्शी है। शर्मा

ने आगे कहा, जिनके पास दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 5000 से अधिक मधुमक्खी के बक्से हैं, “शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए मधुमक्खी के बक्सों का समय पर प्रवास भी समान रूप से जिम्मेदार है।”

यहां, मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को समय पर निर्णय लेने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान मधुमक्खी कॉलोनियों के अंतर-राज्य के साथ-साथ अंतर-राज्य आंदोलन की अनुमति दी, जिसने अतिरिक्त शहद उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान, देश के हर हिस्से में पाए जाने वाले नीम, नीलगिरी और सहजन के फूलों का मौसम था। इसी तरह, साथ ही इस अवधि में भारत के एक बड़े हिस्से में सरसों की फसल का भी मौसम था। इसकी पुष्टि एक अन्य मधुमक्खीपालक विजय कसाना ने की, जिनके पास दिल्ली के पास कुतुबगढ़ गांव और उत्तर प्रदेश के हाथरस और अलीगढ़ में 2000 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं।

उन्होंने आगे बताया कि शांति का वातावरण होने के परिणामस्वरूप मधुमक्खियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और मधुमक्खी कॉलोनियों की संख्या में वृद्धि भी हुई। मधुमक्खियों के समय पर नए स्थानों पर प्रवास करने के साथ-साथ वनस्पतियों की प्रचुरता के परिणामस्वरूप इस अल्प अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर शहद का उत्पादन हुआ। साथ ही, उन्होंने आगे कहा कि मधुमक्खी कॉलोनियों की संख्या में वृद्धि से आगामी शहद के मौसम में अधिकतम शहद निकालने में मदद मिलेगी। यह उल्लेख करना भी उचित है कि शहद में पर-परागण (क्रोस-पोलिनेशन) के माध्यम से भारत की कृषि उपज को अधिकतम प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता है।

यह भारत में "स्वीट क्रांति" के अंतिम लक्ष्य को साकार करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, जिसका सुझाव प्रधान मंत्री ने दिया है। लेकिन जहां प्रकृति ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, वहीं केंद्र सरकार ने भी मधुमक्खी पालन (शेष पृष्ठ 13 पर)

(पृष्ठ 9 से आगे....)

केवीआईसी की बड़ी जीत: कोर्ट द्वारा व्यक्तियों/फर्मों को.....

आजीविका पर पड़ता है जो भारत के दूरदराज के हिस्सों में असली हस्तकला उत्पाद बना रहे हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि खादी ब्रांड का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों या फर्मों के खिलाफ केवीआईसी कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगा। यह खादी कारीगरों के हितों की रक्षा करने और खादी के नाम पर किसी भी नकली उत्पाद की बिक्री को रोकने के लिए है। इससे पूर्व, इस साल मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फर्म को खादी ब्रांड नाम और चरखा प्रतीक का उपयोग अपने उत्पादों को "IWEARKHADI" नाम से बेचने से रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर फर्म को खादी ब्रांड नाम का उपयोग करने से नहीं रोका गया तो "अपूरणीय नुकसान होगा"। "वादी (KVIC) ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। सुविधा संतुलन भी वादी यानी केवीआईसी के पक्ष में है और एकतरफा निषेधाज्ञा नहीं दिए जाने की स्थिति में अपूरणीय क्षति होगी। तदनुसार, सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादी, उनके सहयोगी, नौकर, प्रतिनिधि, एजेंट और उनकी ओर से कार्य करने वाले सभी अन्य लोगों को ट्रेडमार्क IWEARKHADI के तहत किसी भी प्रकार के सामान के निर्माण अथवा सेवा, बिक्री, विज्ञापन हेतु प्रतिबंधित किया जाता है।"

"दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा। यह उल्लेख करना उचित है कि केवीआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने ब्रांड नाम "खादी इंडिया" के किसी भी दुरुपयोग और अपने ट्रेडमार्क में उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। केवीआईसी ने अब तक फैबइंडिया सहित 1000 से अधिक निजी फर्मों को अपने ब्रांड नाम का दुरुपयोग करने और खादी के नाम से उत्पाद बेचने के लिए कानूनी नोटिस जारी किए हैं। केवीआईसी ने फैबइंडिया से 500 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है जो मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।



(पृष्ठ 12 से आगे....)

प्रकृति को आर्थिक विकास में भागीदार बनाने का समय.....

उद्योग के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 500 करोड़ रुपये के पैकेज के रूप में भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर किसी अन्य निर्णय का इतना दीर्घकालिक प्रभाव नहीं हो सकता है। यह पैकेज न केवल शहद मिशन को मजबूत करेगा बल्कि रोजगार सृजन करने, कृषि को समर्थन देने और संकटग्रस्त किसानों के पुनर्वास में भी काफी मददगार साबित होगा।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि "भारत की स्वीट कहानी" और "ग्रामीण समृद्धि का मार्ग" यहीं से शुरू होते हैं। हाल के वर्षों में, भारत का शहद उत्पादन लगातार बढ़ा है। देश ने वर्ष 2018-19 के दौरान 732.1 करोड़ रुपये मूल्य के 61333 मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद का दुनिया को निर्यात किया गया।

अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मोरक्को और कतार भारत के शहद के प्रमुख आयातक रहे हैं। यह भारत को जल्द ही दुनिया के शीर्ष तीन शहद उत्पादक देशों में शामिल कर देगा। वर्तमान में, भारत, शहद उत्पादक देशों में आठवें स्थान पर है, जिसमें चीन सबसे आगे है।

आगे हमें क्या करना चाहिए, इसमें लॉकडाउन की अवधि ने हमारी आंखें खोल दी है। केवीआईसी का शहद मिशन सतत विकास की इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, जहां हम प्रकृति को हमारे लिए काम करने के लिए संलग्न करते हैं। जैसे, केवल शहद का उत्पादन और मौद्रिक लाभ के आंकड़े को बदलना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है जिसका हम अनुसरण करते हैं। हम प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की समय-परीक्षित पर्यावरणीय नैतिकता का सामंजस्यपूर्ण तरीके से सम्मान करते हैं और समावेशी और नवीनतम विकास विधियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं।



केवीआईसी सोशल मीडिया पर

- फेसबुक पर




केवीआईसी सोशल मीडिया पर

- इंस्टाग्राम पर



• Special Day posts •





चित्र: धनश्री केलकर द्वारा सीबीआरटीआई, पुणे के लिए